



राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

NHB(ND)/DRS/Policy Circular No. 63/2014-15
August 14, 2014

All Registered Housing Finance Companies

Dear Sir/Madam,

Levy of foreclosure charges/pre-payment penalties on floating rate term loans

Please refer to paragraph 4.1 (iv) of Guidelines on Fair Practices Code for Housing Finance Companies (HFCs) issued vide Circular NHB/ND/DRS/Pol.No.34/2010-11 dated October 11, 2010 and other Circulars NHB(ND)/DRS/Pol.No.36/2010 dated October 18, 2010, NHB(ND)/DRS/Pol.No.43/2011-12 dated October 19, 2011, NHB(ND)/DRS/Pol.No.48/2011-12 dated April 4, 2012 and NHB(ND)/DRS/Pol.No.51/2012-13 dated August 7, 2012 on pre-payment penalty on pre-closure of housing loans.

2. As a measure of customer protection and also in order to bring the uniformity with regard to prepayment of various loans by borrowers of banks, NBFCs and HFCs, it is advised that HFCs shall not charge foreclosure charges/pre-payment penalties on all floating rate term loans sanctioned to *individual borrowers*, with immediate effect.

3. Please acknowledge receipt.

Yours faithfully


(R. S. Garg)
Executive Director



राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

रा.आ.बैंक (न.दि.)/डीआरएस/पालिसी परिपत्र संख्या 63/2014-15
14 अगस्त, 2014

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां

प्रिय महोदय/महोदया,

परिवर्तनीय दर वाले आवधिक ऋणों पर पूर्व भुगतान लेवी/पूर्व भुगतान प्रभार के विषय में

कृपया परिपत्र एनएचबी/एनडी/डीआरएस/पालि0 संख्या - 34/2010-11 दिनांकित 11 अक्टूबर, 2010 के तहत आवास वित्त कंपनियों के लिए जारी उचित आचार व्यवहार संहिता संबंधी मार्गनिर्देशों के अनुच्छेद 4.1 (iv) एवं आवास ऋणों के पूर्व चुकता करने पर पूर्व भुगतान प्रभारों के विषय पर जारी अन्य परिपत्र एनएचबी (एनडी)/डीआरएस/पालि0 संख्या - 36/2010 दिनांकित 18 अक्टूबर, 2010, एनएचबी (एनडी)/डीआरएस/पालि0 संख्या - 43/2011-12, दिनांकित 19 अक्टूबर, 2011, एनएचबी (एनडी)/डीआरएस/पालि0 संख्या - 48/2011-12 दिनांकित 4 अप्रैल, 2012 एवं एनएचबी (एनडी)/डीआरएस/पालि0 संख्या - 51/2012-13 दिनांकित 7 अगस्त, 2012 का संदर्भ लें।

2. ग्राहकों के हितों की रक्षा हेतु एवं बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एवं आवास वित्त कंपनियों के विविध ऋणों पर पूर्वभुगतान के मामले में एकरूपता लाने के उद्देश्य से यह निर्देशित किया जाता है कि आवास वित्त कंपनियां तत्काल प्रभाव से व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को संस्तुत सभी परिवर्तनीय दर वाले आवधिक ऋणों पर पूर्व भुगतान प्रभार/पूर्व भुगतान पेनल्टी न लगाएं।

3. कृपया पावती दें।

भवदीय

(आर एस गर्ग)
कार्यपालक निदेशक